



उत्तर प्रदेश  
आवास परिषद

# होली की शुभकामनाओं के साथ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा



UPAVP REGISTERED PROJECTS  
UPAVP Website:  
https://www.upavp.in

**सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद (सेक्टर-10) के अंतर्गत सामान्य पंजीकरण  
योजना-2026 में आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने का विशेष अवसर।**

## भूखण्डों का विवरण

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	भूखण्डों की संख्या	मानक भूखण्डों का मूल्य (₹० लाख में) फ्री होल्ड सहित	पार्क फेंसिंग / ग्रीन बेल्ट भूखण्डों का मूल्य (₹० लाख में) फ्री होल्ड सहित (05 प्रतिशत अतिरिक्त देय)	कार्नर भूखण्ड का मूल्य (₹० लाख में) फ्री होल्ड सहित (05 प्रतिशत अतिरिक्त देय)	18.00 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड का मूल्य (₹० लाख में) फ्री होल्ड सहित (05 प्रतिशत अतिरिक्त देय)	कार्नर, पार्क फेंसिंग / ग्रीन बेल्ट एवं 18.00 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क के भूखण्ड का मूल्य (₹० लाख में) फ्री होल्ड सहित (12 प्रतिशत अतिरिक्त देय)	पंजीकरण धनराशि	
							सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी
72.00	56	93.29	97.96	97.96	97.96	104.49	9.33	4.67
112.50	101	145.61	152.90	152.90	152.90	163.09	14.57	7.29

**ऑनलाइन पंजीकरण तिथि : 02.03.2026 - 31.03.2026**

ऑनलाइन आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु QR स्कैन करें या वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर विजिट करें



**\* एकमुश्त भुगतान पर आकर्षक छूट का लाभ**

45 दिवस में पूर्ण भुगतान करने पर **06% छूट**

60 दिवस में पूर्ण भुगतान करने पर **05% छूट**

90 दिवस में पूर्ण भुगतान करने पर **04% छूट**

अधिक जानकारी हेतु **Scan** करें।



**UPRERA  
PRJ403668**

**ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक**

**बैंक का नाम एवं पता**

**HDFC BANK Ltd. C-415 OM PLAZA Sector-15, Vasundhara, Ghaziabad**

**सम्बन्धित अधिकारी का नाम**

**श्री अभिषेक पांडेय | दूरभाष नं०: 9910409843**

**यू.पी. रेरा कलेक्शन अकाउंट नंबर: 99999917062025**

**श्री पी०एस० रावत  
(सम्पत्ति प्रबन्धक)**  
☎ 8189081113

**इं० विकास गौतम  
(अधिशासी अभियन्ता)**  
☎ 8795811726

**इं० अजय कुमार मित्तल  
(अधीक्षण अभियन्ता)**  
☎ 8795810190

**श्री अनिल कुमार सिंह  
(उप आवास आयुक्त)**  
☎ 8189081006

नियम एवं शर्तें : आरक्षण की सुविधा शासन/परिषद के नियमानुसार देय होगी। ● प्राप्त आवेदन अधिक होने पर आवंटन सार्वजनिक लाटरी द्वारा किया जायेगा। ● लाटरी झा की तिथि, समय एवं आवेदकों की सूची परिषद की वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर प्रदर्शित की जायेगी। ● सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी। ● सम्पत्ति का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य (आवासीय प्रयोजन) हेतु किया जायेगा, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण अनुमत्य होगा। ● एकमुश्त भुगतान विकल्प में परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। ● भुगतान में निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब/डिफाल्ट होने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है। ● पुनर्जीवन परिषद के नियमानुसार निर्धारित अवधि एवं शर्तों के अधीन ही संग्रह होगा। ● परिषद/शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित नियम लागू होंगे। ● प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी द्वारा किया जायेगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किश्तों पर भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी द्वारा से कार्यवाही की जायेगी। ● किसी भी विषय/विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। ● \*(छूट परिषद के नियमानुसार देय होगी।)

संपर्कों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए डायल करें  
**(टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803**

UPHousingBoard | uphousingdevboard | www.upavp.in